

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 47 सन 2021

अनवान :-

1. धर्मपाल पुत्र सन्तलाल जाति जाट साकिन असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 02/10/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 147/150 की कुल 17.1100हैक एवं रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 19/19 की कुल 12.2080हैक एवं रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 75/75 की कुल 1.8340हैक भूमि प्रार्थी का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण धर्मसिंह व पालाराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम धर्मपाल है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम धर्मपाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड वाद भूमि में प्रार्थी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 147/150 की कुल 17.1100हैक एवं रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 19/19 की कुल 12.2080हैक एवं रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 75/75 की कुल 1.8340हैक भूमि प्रार्थी का खातेदार काश्तकार है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण धर्मसिंह पुत्र पालाराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम धर्मपाल व पालाराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम धर्मपाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है ।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 147/150 की कुल 17.1100हैक एवं रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 19/19 की कुल 12.2080हैक एवं रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 75/75 की कुल 1.8340हैक भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है।

जिसमें प्रार्थी का नाम धर्मसिंह पुत्र पालसिंह दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम धर्मपाल पुत्र पालाराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम धर्मपाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यइकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 147/150 की कुल 17.1100हैक एवं रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 19/19 की कुल 12.2080हैक एवं रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 75/75 की कुल 1.8340हैक भूमि में प्रार्थी का नाम धर्मसिंह एवं पालराम दर्ज के स्थान पर धर्मपाल उर्फ धर्मसिंह एवं पालाराम उर्फ धर्मपाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ला दाखिल व्स्तर हो ।

निर्णय/आदेश आज दिनांक 02/10/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021
कैम्प कोर्ट फिफावली

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/ 02
तहसीलदार राजस्व 2/10/21
नोहर ।

दिनांक :-

विषय :- प्रकरण संख्या 47/2020 अनवानी धर्मपाल बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. धर्मपाल पुत्र सन्तलाल जाति जाट साकिन असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 47/2020 अनवानी धर्मपाल बनाम सरकार में दिनांक 02/10/2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 147/150 की कुल 17.1100हैक एवं रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 19/19 की कुल 12.2080हैक एवं रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 75/75 की कुल 1.8340हैक भूमि में प्रार्थी का नाम धर्मसिंह एवं पालराम दर्ज के स्थान पर धर्मपाल उर्फ धर्मसिंह एवं पालाराम उर्फ धर्मपाल संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021
कैम्प कोर्ट